न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 248 / 2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
चण्डीदान पुत्र रासींगदान जाति चारण, निवासी देवका तहसील शिव, जिल बाड़मेर		1. आवड़दान पुत्र जीवणदान 2. गुणेशदान पुत्र रासींगदान 3. प्यारों पत्नी जीवणदान 4. महेशदान पुत्र जवारदान 5. रमेशदान पुत्र जीवणदान 6. राजूदान पुत्र रासींगदान 7. हिंगलाजदान पुत्र जीवणदान जाति चारण, निवासी देवका तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. प्रबंधक, दी सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक शाखा शिव 9. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाख शिव 10. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री भगवानदास गोयल।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.04.2026

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल राजड़ाल के ग्राम राजड़ाल के खेत खसरा नम्बर 425 / 195, 427 / 195 रकबा क्रमशः 26.1993, 2.5252 हैक्टेयर तथा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	चण्डीदान पुत्र रासिंगदान जाति चारण सा. देवका खातेदार रहन द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा शिव	राजड़ाल	425 / 195	4.5970	बा.दो.	–	नीला
2	आवड़दान 25 / 299, हिंगलाजदान 25 / 299, रमेशदान 25 / 299 पि. जीवणदान, प्यारों पत्नी जीवणदान 25 / 299, गुणेशदान 13917 / 49634, राजुदान 13917 / 49634 पि. रासिंगदान, महेशदान पुत्र जवाहरदान 200 / 1909 जाति सा. देवका खातेदार	राजड़ाल	425 / 195 427 / 195	21.4503 2.5252	बा.दो. बा.दो.	– –	गुलाबी
3	बदस्तुर जमाबंदी अनुसार सामलाती खातेदार	राजड़ाल	425 / 195	0.1520	बा.दो.	–	काला

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:46 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड [illegible] इन्द्राज/अमलदरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश [illegible] पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित [illegible] संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)